

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर परिषद, सुपौल अन्तर्गत नई बस स्टैंड के निर्माण हेतु चिन्हित 5 एकड़ 14.85 डी० अर्जन की गई भूमि का अवशेष प्रतिकर/प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि ₹1186.80067 लाख (ग्यारह करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार सड़सठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष राशि ₹436.76719 लाख (चार करोड़ छतीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ उन्नीस) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

समाहर्ता, सुपौल के पत्रांक-466 दिनांक-09.03.2026 द्वारा नगर परिषद, सुपौल अन्तर्गत नई बस स्टैंड के निर्माण हेतु चिन्हित 5 एकड़ 14.85 डी० अर्जन की गई भूमि का अवशेष प्रतिकर/प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि ₹1186.80067 लाख (ग्यारह करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार सड़सठ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष राशि ₹436.76719 लाख (चार करोड़ छतीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ उन्नीस) रु० (1186.80067-750.03348=436.76719) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर परिषद, सुपौल अन्तर्गत नई बस स्टैंड के निर्माण हेतु चिन्हित 5 एकड़ 14.85 डी० अर्जन की गई भूमि का अवशेष प्रतिकर/प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि ₹1186.80067 लाख (ग्यारह करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार सड़सठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष राशि ₹436.76719 लाख (चार करोड़ छतीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ उन्नीस) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत भू-अर्जन मद से निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटन हेतु स्वीकृत कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद, सुपौल अन्तर्गत नई बस स्टैंड के निर्माण हेतु चिन्हित 5 एकड़ 14.85 डी० अर्जन की गई भूमि का अवशेष प्रतिकर/प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि ₹1186.80067 लाख (ग्यारह करोड़ छियासी लाख अस्सी हजार सड़सठ रुपये) मात्र की स्वीकृति।	₹750.03348	₹1186.80067	₹750.03348	₹436.76719

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹436.76719 लाख (चार करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ उन्नीस) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹436.76719 लाख (चार करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ उन्नीस) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद, सुपौल के PL खाता सं०-SPLPLA005, HOA -00-8448-00-102-0002-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल द्वारा उक्त राशि अविलम्ब समाहर्ता, सुपौल को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

5. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल द्वारा समाहर्ता, सुपौल से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

7. स्वीकृत कुल राशि ₹436.76719 लाख (चार करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ उन्नीस) मात्र का व्यय माँग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-01113-भू-अर्जन, विपत्र कोड सं०-48-2217031910113 विषय शीर्ष-01113.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण मद से किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/भू०-अ०-02-02/2025 के पृष्ठ सं०-58/टि० पर दिनांक-17.09.2024 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-59/टि० पर दिनांक-17.09.2024 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/भू०-अ०-02-02/2025 164 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-18/09/2025

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी (सहरसा) प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, सुपौल/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।